18/12/24 पत्रावली पेश हुई। नवीन प्रार्थना 345/ मूल GTS नोट पेश में शामिल किया जा चुका है। इसलिए इस आवेदन पत्र कार्यवाही किये जाने का [illegible] का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र कार्यवाही किये बिना प्रार्थना नोट पेश में शामिल किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर GTS कार्यवाही अविलम्ब हो। निर्णय आज दिनांक 18/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]

नायब तहसीलदार (भू.) [illegible]